



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240648  
CG-DL-E-29112022-240648

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5307]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2022/अग्रहायण 8, 1944

No. 5307]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022/AGRAHAYANA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

सं. 98/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 5539(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, अधिसूचना सं. 47/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 मई, 2022, जिसे का.आ. 2493(अ), दिनांक 31 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, को इस प्रकार संशोधित करती है, यथा,-

उक्त अधिसूचना में, उपवाक्य 2 में, अंक अक्षर और शब्द "29 नवम्बर 2022" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द 31 मार्च, 2023 को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

अनंत राधाकृष्णन, उपसचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 47/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 मई, 2022 के रूप में का.आ. 2493(अ), दिनांक 31 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2022

**No. 98 /2022-Customs (N.T.)**

**S.O. 5539(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby amends the notification No.47/2022-Customs (N.T.) dated the 31<sup>st</sup> May 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2493 (E), dated the 31<sup>st</sup> May, 2022, namely, -

In the said notification, in clause 2, for the figures, letters and word “29<sup>th</sup> November 2022”, the figures, letters and word “31<sup>st</sup> March, 2023”, shall be substituted.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification no. 47/2022–Customs (N.T.), dated the 31<sup>st</sup> May, 2022, vide number S. O.2493 (E), dated the 31<sup>st</sup> May, 2022.